शशिकला देवी

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अन्य

(2014 की दीवानी अपील सं. 11488)

17 दिसंबर, 2014

**[टी. एस. ठाकुर और आर. भानुमती, न्यायमूर्तिगण]**

*सेवा कानूनः*

*स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति – बैंक कर्मचारी – 34 वर्षों की सेवा के पश्चात कर्मचारी ने चिकित्सीय आधार पर सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया – त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उसकी सम्पूर्ण पूर्व सेवा जब्त मानी गई तथा उसे किसी भी पेंशन संबंधी लाभ से वंचित कर दिया गया – प्रश्न यह कि उक्त पत्र वस्तुतः पूर्वकालिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन था या त्यागपत्र – अभिनिर्धारितः कर्मचारी सेवा विनियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र था – वह त्यागपत्र देने के स्थान पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का भी अधिकारी था – नियोक्ता-बैंक को निर्देश दिया गया कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति संबंधी समस्त लाभ प्रदान किए जाएँ – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 – विनियम 29(2)।*

*पेंशन – पेंशन कोई अनुग्रह नहीं है, बल्कि दीर्घकालीन सेवा के आधार पर अर्जित अधिकार है, अतः न्यायालय यह मानने में सावधानी बरतेगा कि कर्मचारी ने बिना किसी ठोस कारण के अपने इस अधिकार का परित्याग या त्याग करने का इरादा किया।*

*परित्याग – विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार का परित्याग – कब मान्य – अभिनिर्धारित: किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के परित्याग के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट, असंदिग्ध, सचेत रूप से तथा उसके परिणामों की पूर्ण जानकारी के साथ किया गया हो।*

*विधियों की व्याख्या – किसी विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय को विधायिका के अभिप्राय को ध्यान में रखना चाहिए तथा ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो उसके लाभकारी उपबंधों को सीमित, संकुचित या निष्फल कर दे – पेंशन योजना अथवा पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे उनके अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति हो सके, न कि लाभार्थियों को देय लाभों से वंचित किया जाए – सेवा विधि – पेंशन।*

**अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने**

**अभिनिर्धारित: 1.1 .जो कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका है, वह बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अधिकारी है, बशर्ते वह इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन माह का नोटिस दे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 29(2) के प्रावधानानुसार, यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इंकार नहीं करता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति प्रभावी हो जाती है। विनियम 29(3)(ए) के अनुसार, उपयुक्त मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह की नोटिस अवधि को कम करने के लिए सक्षम है, इस शर्त के अधीन कि कर्मचारी नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के समानीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा। [कंडिका 6] [880-जी-एच; 881-ए-बी]**

1.2.वर्तमान प्रकरण में, दिवंगत कर्मचारी ने प्रत्यर्थी-बैंक में लगभग 34 वर्षों की सेवा प्रदान की थी। अतः वह उस पर लागू विनियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र था। यह भी विनियम 29 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिवंगत कर्मचारी विनियम 29 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दावा करने का अधिकारी था, क्योंकि उसने 8 अक्टूबर, 2007 तक बीस वर्षों से अधिक सेवा पूर्ण कर ली थी। 8 अक्टूबर, 2007 की स्थिति में, दिवंगत कर्मचारी के पास सेवा से त्यागपत्र देने या विनियम 29 के अंतर्गत पूर्वकालिक (स्वैच्छिक) सेवानिवृत्ति लेने—दोनों विकल्प उपलब्ध थे। [कंडिका 7] [881-सी-ई]

1.3. क्या कोई दिया गया संप्रेषण मात्र त्यागपत्र है अथवा उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में भी माना जा सकता है, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा लागू नियमों के उपबंधों पर निर्भर करेगा। यह स्थिति तब भी बनी रहती है जब यह न्यायालय सदैव "त्यागपत्र" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच स्पष्ट भेद बनाए रखता आया है। [कंडिका 7] [881-ई-जी]

*यूको बैंक और अन्य बनाम सांवरमल* (2004)4 एससीसी412: 2004 (2) एससीआर 1125; *भारतीय रिजर्व बैंक और एक अन्य बनाम सीईसीआईएल डेनिस सोलोमन और एक अन्य* (2004) 9 एससीसी 461:2003 (6) पूरक. एससीआर 465 - संदर्भित किया गया।

1.4 .वर्तमान प्रकरण में, कर्मचारी ने सेवा छोड़ने का विकल्प किसी अनुशासनात्मक या अन्य प्रस्तावित कार्रवाई के कारण, अथवा किसी स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, या ऐसे किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के कारण नहीं चुना था, जिससे सेवा में बने रहने पर उसे कोई सिविल परिणाम भुगतना पड़ता; बल्कि उसने सेवा छोड़ने का निर्णय अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण लिया, जो उन बीमारियों के कारण

उत्पन्न हुई थी जिनसे वह ग्रस्त था। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट है कि न केवल पत्र में, बल्कि उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में भी कर्मचारी ने सेवा को पूर्वकालिक रूप से छोड़ने के कारणों पर विशेष बल दिया है। अतः दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के अपने पत्र द्वारा कर्मचारी का आशय त्यागपत्र देना नहीं, बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करना था। [कंडिका 12 और 14] एच [886-ई-एच; 887-ए; 888-सी]

2.1 पेंशन न तो कोई अनुग्रह है और न ही दया का विषय, बल्कि यह कर्मचारी द्वारा अतीत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है। यदि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि वह अधिकार है जिसे कर्मचारी ने दीर्घकालीन, निष्ठापूर्ण एवं उत्तम सेवा के आधार पर अर्जित किया है, तो न्यायालय यह मानने में शीघ्रता नहीं करेगा कि कर्मचारी ने बिना किसी ठोस कारण के ऐसे मूल्यवान अधिकार का परित्याग या त्याग करने का आशय रखा था। कम से कम, ऐसी कोई ठोस एवं बाध्यकारी परिस्थिति होनी चाहिए जिससे यह संकेत मिले कि कर्मचारी ने सचेत रूप से उस अधिकार एवं लाभ का परित्याग किया, जिसे उसने अत्यंत परिश्रम से अर्जित किया था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री में कहीं भी ऐसे किसी सचेत समर्पण, परित्याग या पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकार के त्याग का संकेत नहीं मिलता; बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि कर्मचारी के पास अपनी जीविका या निर्वाह के लिए उन लाभों के अतिरिक्त कोई अन्य स्रोत नहीं था, जिन्हें उसने दीर्घकालीन सेवा के माध्यम से अर्जित किया था। यह तथ्य संबंधित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है, जिसमें कर्मचारी ने अपने चिकित्सीय उपचार हेतु आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए अपने सेवानिवृत्ति लाभों को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। पत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि

**अपने निर्वाह के लिए कर्मचारी पूर्णतः ऐसे लाभों पर निर्भर है।[कंडिका 7 और 14] [882-डी; 888-ई-एच; 889-ए-बी]**

*डी. एस. नाकाड़ा और अन्य बनाम भारत संघ* **(1983) 1एससीसी 305:1983 (2) एससीआर 165;** *अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और अन्यबनाम .सी. आर. रंगधमैया.***(1997) 6 एससीसी 623 1997 (3) पूरक .एससीआर 63**; *सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य* **(1984) 3 एससीसी 369:1984 (3) एससीआर 325**-पर निर्भर था।

**2.2 .कर्मचारी को यह अभिप्राय देना कठिन है कि उसने अपने सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में जो अधिकार वैध रूप से अर्जित किए थे, उन्हें त्यागने का इरादा किया हो, विशेषकर तब जब वही लाभ उसके जीवित रहने तथा उसके अत्यावश्यक चिकित्सा उपचार —दोनों के लिए एकमात्र साधन थे। किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के परित्याग के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा परित्याग स्पष्ट एवं निर्विवाद हो, सचेत रूप से किया गया हो तथा उसके परिणामों का पूर्ण ज्ञान रखते हुए किया गया हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा कोई इरादा नहीं दर्शाया जा सकता। कर्मचारी के बाद के पत्रों तथा संप्रेषणों को पूर्व-नियोजित नहीं माना जा सकता। समय की निकटता को देखते हुए 8 अक्टूबर, 2007 का पत्र बाद के संप्रेषणों का ही एक भाग माना जाना चाहिए, कम से कम उस उद्देश्य के लिए कि कर्मचारी के कार्य के पीछे निहित वास्तविक अभिप्राय का निर्धारण किया जा सके।[कंडिका 14] [889-बी-ई]**

**3.1 .किसी कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को यह करना चाहिए कि विधायी इरादे को ध्यान में रखें और ऐसी व्याख्या से बचें जो सीमित करने, संकीर्ण बनाने या निष्फल करने का काम करती है।[ कंडिका 8] [883-डी-ई]**

*एस. अप्पुकुट्टन बनाम तुंडियिल जानकी अम्मा और अन्य* **(1988) 2 एससीसी 372:1988 (2) एस. सी. आर. 661**; *वतन मल बनाम कैलाश नाथ* **(1989) 3 एससीसी 79:1989 (2) एस. सी. आर. 192;** *कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम आर. के. स्वामी और अन्य***(1994) 1 एससीसी 445:1993 (3) पूरक .एस. सी. आर. 461;** *भारत संघ और अन्य बनाम प्रदीप कुमारी और अन्य* **(1995) 2 एससीसी 736:1995 (2) एससीआर 703-पर निर्भर।**

**3.2 पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है ताकि ऐसे प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से इनकार करने के बजाय उसी के अंतर्निहित उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे मामलों में जहां एक कर्मचारी के पास पेंशन प्रदान करने के लिए योग्यता सेवा के अपेक्षित वर्ष हैं, और जहां वह सेवा शर्तों के तहत लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है, वहां कथित इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में मानते हुए पेंशन के लाभ की अनुमति दी गई है। [कंडिका 15] [889-ई-जी]**

*सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य* **(1984)3 एससीसी 369:1984 (3) एस. सी. आर. 325;** *भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल थाना भार्गव* **(1997) 2 एससीसी 28:1997 (1) एससीआर 130**; *शील कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य* **(2011) 12 एससीसी 197:2011 (9) एस. सी. आर. 574-- पर भरोसा किया गया।**

4. उत्तरदाता-बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को कर्मचारी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना तथा तीन माह की नोटिस अवधि में कटौती के अनुरोध के रूप में माने। नोटिस अवधि में कटौती के प्रश्न पर सक्षम प्राधिकारी जो भी निर्णय ले, और/या मृत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों में से तीन माह का वेतन काटने के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाए, उसके अनुसार प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत देय सेवानिवृत्ति लाभों, जिसमें पेंशन भी शामिल है, के भुगतान के लिए मृत कर्मचारी का दावा संसाधित किया जाए और यथाशीघ्र, परंतु इस आदेश की प्रति बैंक को प्रदान किए जाने की तिथि से छह माह के भीतर, अपीलकर्ता-विधवा के पक्ष में जारी किया जाए। यदि बैंक छह माह के भीतर उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो कर्मचारी को देय राशि तथा उसके निधन के पश्चात उसकी विधवा को देय राशि पर, उक्त छह माह की अवधि समाप्त होने की तिथि से 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। [कंडिका 19] [893-एफ-एच; 894-ए-बी]

मामला कानून संदर्भः

| | | |
|---|---|---|
| 2004 (2) एससीआर 1125 | संदर्भित | कंडिका 7 |
| 2003 (6) पूरक.एस. सी. आर. 465 | संदर्भित | कंडिका 7 |
| 1983 (2) एससीआर 165 | भरोसा किया | कंडिका |
| 1997 (3) पूरक .एससीआर 63 | भरोसा किया | कंडिका 7 |
| 1984 (3) एससीआर 325 | भरोसा किया | कंडिका 7 |
| 1988 (2) एससीआर 661 | भरोसा किया | कंडिका 8 |
| 1989 (2) एससीआर 192 | भरोसा किया | कंडिका 9 |
| 1993 (3) पूरक .एससीआर 461 | भरोसा किया | कंडिका 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **1995 (2) एससीआर 703** | **भरोसा किया** | **कंडिका 11** |
| **1984 (3) एससीआर 325** | **भरोसा किया** | **कंडिका 16** |
| **1997 (1) एससीआर 130** | **भरोसा किया** | **कंडिका 16** |
| **2011 (9) एससीआर 574** | **भरोसा किया** | **कंडिका 18** |

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2014 की दीवानी अपील सं 11488।

2010 के एल.पी.ए.सं. 1998 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए वाई. राजा गोपाल राव, हितेंद्र नाथ रथ, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए शिश वाड, सुश्री जयश्री वाड, मेसर्स जे. एस. वाड एंड कंपनी, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

**टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति** 1.अनुमति दे दी गई।

2. इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा विचारार्थ आने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 को स्वर्गीय श्री मौजी राम, जो अपीलकर्ता के पति थे, द्वारा भेजा गया पत्र वास्तव में चिकित्सा आधार पर पूर्व-सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला पत्र था अथवा उत्तारदातीी बैंक की सेवा से त्यागपत्र था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका तथा दिवंगत कर्मचारी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह घोषित किया था कि उक्त पत्र त्यागपत्र का पत्र था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा अर्जित संपूर्ण सेवा अवधि का परित्याग हो गया और वह किसी भी पेंशन संबंधी लाभ का अधिकारी नहीं रहा। उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण की शुद्धता इस अपील में चुनौती के अधीन है, जिसे दिवंगत कर्मचारी की विधवा द्वारा दायर किया गया है, जिनका निधन उच्च न्यायालय की कार्यवाही

के लंबित रहते हो गया था। चूंकि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उपर्युक्त पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया था, अतः उसे यथावत नीचे उद्धृत किया जाता हैः-

*" पटना*

*तिथि - 19.10.07*

*सेवा में,*

*क्षेत्रीय प्रबंधक,*

*सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,*

*क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।*

*माध्यम से : उचित चैनल*

*विषयः- बैंक की सेवा से इस्तीफा*

*आदरणीय महोदय,*

*सम्मानपूर्वक, मैं अपनी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए मुझे विवश करने वाले निम्नलिखित कारण प्रस्तुत करता हूँ।*

*वर्ष 2002 में मुझे गंभीर क्रेनियो-सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो गई थी और मुझे डॉ. पी.एस. रमानी, लीलावती अस्पताल, मुंबई के पास भेजा गया, जहाँ मेरा शल्य चिकित्सा उपचार हुआ। एक माह के भीतर ही मुझे तीव्र प्रोस्टेट संबंधी समस्या भी हो गई, जिसके लिए मुझे डॉ. एस.एस. अम्बास्ता द्वारा शीला यूरोलॉजी सेंटर, पटना में ऑपरेशन कराना पड़ा। किन्तु मुझे समय-समय पर होने वाले दर्द और चक्कर से पूर्णतः राहत नहीं मिली और यह समस्या गंभीर होती चली गई। परिणामस्वरूप मैं स्वयं को नियमित कार्यों के निष्पादन हेतु अक्षम पाता रहा हूँ।*

*इन परिस्थितियों में मुझे अनेक अवसरों पर अवकाश पर रहना पड़ा, वह भी बिना वेतन के अवकाश के रूप में।*

*हाल ही में प्रोस्टेट की समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। वर्तमान में मैं पटना में डॉ. एस.एस. अम्बास्ता के उपचाराधीन हूँ। गंभीर सर्वाइकल रोग तथा प्रोस्टेट संबंधी जटिलताओं ने मुझे वस्तुतः इतना अक्षम बना दिया है कि मैं अपने दैनिक कार्य भी करने में असमर्थ हूँ।*

*अपने कथन के समर्थन में मैं लीलावती अस्पताल, मुंबई तथा शीला यूरोलॉजी सेंटर, पटना में अपने उपचार से संबंधित चिकित्सकीय पर्चियों की छायाप्रतियाँ तथा वर्तमान उपचार संबंधी चिकित्सक की पर्ची संलग्न कर रहा हूँ।*

*उपर्युक्त स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण, जिनसे मैं बैंक सेवा प्रदान करने में अक्षम हो गया हूँ, इसी के दृष्टिगत मैं बैंक सेवा से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे त्यागपत्र को यथाशीघ्र स्वीकार करने की कृपा करें, ताकि मैं अपने सेवा-समापन लाभों से आगे के उपचार हेतु व्यवस्था कर सकूँ, जो अब मेरे जीवन-यापन एवं चिकित्सा का एकमात्र वित्तीय साधन है।*

*मैं एवं मेरा परिवार आपके इस अनुरोध पर कृपापूर्ण एवं अनुकूल विचार हेतु अत्यंत आभारी रहेंगे।*

*धन्यवाद।*

*भवदीय,*

***(मौजी राम)***

*लिपिक,*

*राजबंशी नगर,*

*पटना।"*

*(जोर दिया गया)*

3. उपर्युक्त पत्र के साधारण पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मचारी ने अपनी सेवा संबंधी कर्तव्यों से इस आधार पर मुक्ति की प्रार्थना की थी कि उसकी चिकित्सीय स्थिति के कारण वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गया था, जिसका उसने स्वयं पत्र में विस्तार से उल्लेख किया है। उक्त पत्र में उसने अस्पतालों से प्राप्त चिकित्सकीय पर्चियों की प्रतियों पर भरोसा करते हुए उन्हें अपने अनुरोध के समर्थन में संलग्न भी किया है, जहाँ वह उपचाराधीन था। कर्मचारी ने अपनी अस्वस्थता एवं कार्य करने में असमर्थता के कारण सेवा से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि उसने अपने सेवानिवृत्ति लाभों के शीघ्र भुगतान की मांग की थी, ताकि वह अपने रोग के उपचार हेतु उनका उपयोग कर सके। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके सेवानिवृत्ति लाभ ही उसके जीवन-यापन एवं उपचार का एकमात्र आर्थिक साधन हैं।

4. बैंक ने कर्मचारी के उक्त पत्र को सेवा से त्यागपत्र का पत्र मानते हुए, उसे सेवा से मुक्त कर दिया, प्रतीत होता है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पत्र में त्यागपत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका स्वाभाविक अर्थ यह निकाला गया कि कर्मचारी को सेवा से अलग करने पर बैंक पर किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, जो अन्यथा ऐसे कर्मचारी को देय होता जिसने सेवानिवृत्ति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो।

5. उत्तरदाता-बैंक के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना या न देना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 द्वारा विनियमित है। उक्त विनियमों के अध्याय IV

में पात्र सेवा का प्रावधान किया गया है। उस अध्याय में आने वाला विनियमन 14 यह उपस्थापित करता है कि कोई कर्मचारी, जिसने बैंक में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर या जिस तिथि को उसे सेवानिवृत्त माना गया है, कम से कम 10 साल की सेवा प्रदान की हो, पेंशन के लिए पात्र होगा। विनियमन 22 सेवा की अधिग्रहण/निरस्तीकरण से संबंधित है, और उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी निर्धारित करता है कि किसी कर्मचारी का त्यागपत्र, पदच्युत करना, हटाया जाना या सेवा की समाप्ति — इन सभी अवस्थाओं में कर्मचारी की संपूर्ण पूर्व सेवा निरस्त हो जाएगी। विनियमों का अध्याय V पेंशन के वर्गों से संबंधित है। जबकि विनियमन 28 में अधिवर्षिता पेंशन की परिकल्पना की गई है, विनियमन 29 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

"***29. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन"*** .

(1) 1 *नवम्बर*, 1993 *को या उसके पश्चात, किसी भी समय, जब कोई कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।*

*परन्तुक यह उप-नियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर हो या विदेश में अध्ययन अवकाश पर हो, जब तक कि स्थानांतरित होने या भारत लौटने के पश्चात उसने भारत में अपने पद का कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लिया हो तथा कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो।*

*परन्तुक यह और भी उपबंधित है कि यह उप-नियम ऐसे किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्थान अथवा किसी निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसमें*

*वह उस समय प्रतिनियुक्ति पर है, में स्थायी रूप से समाहित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है।*

*परन्तुक यह भी उपबंधित है कि यह उप-धारा ऐसे किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जिसे विनियम* 2 *के खंड* (1) *के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ माना गया है।*

2. *उप-नियम* (1) *के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होगा:*

*परन्तुक यह कि जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, वहाँ सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रभावी हो जाएगी।*

*(3) (ए) उप-नियम (1) में उल्लिखित कर्मचारी, कारण बताते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह से कम अवधि की सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है:*

*(बी) खंड (ए) के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पर, नियुक्ति प्राधिकारी उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए), तीन माह की नोटिस अवधि को कम करने के ऐसे अनुरोध पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है, और यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि नोटिस अवधि में कमी करने से कोई प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न नहीं होगी, तो वह तीन माह की नोटिस की आवश्यकता में शिथिलता प्रदान कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि कर्मचारी तीन माह की नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व अपने पेंशन के किसी भाग के समायोजन हेतु आवेदन नहीं करेगा।*

*(4) वह कर्मचारी जिसने इस विनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है तथा इस आशय की आवश्यक सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दे दी है, वह अपने नोटिस को वापस लेने से वंचित रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त हो:*

*परन्तुक यह कि ऐसे वापसी के अनुरोध को उसके इच्छित सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।*

*(5) इस विनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी की अर्हकारी सेवा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की वृद्धि की जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हकारी सेवा किसी भी स्थिति में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा यह वृद्धि उसे अधिवर्षता की तिथि से आगे नहीं ले जाएगी।*

*(6) इस विनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम (2) के खंड (डी) में परिभाषित औसत परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा अर्हकारी सेवा में अधिकतम पाँच वर्ष की वृद्धि उसे पेंशन की गणना के प्रयोजन हेतु किसी प्रकार के काल्पनिक वेतन निर्धारण का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।*

6. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक कर्मचारी जिसने बीस साल की योग्यता सेवा पूरी कर ली है, वह बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार है बशर्ते वह उस संबंध में नियुक्ति प्राधिकरण को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस दे। महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियम 29(2) के परंतुक के संदर्भ में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति

देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विनियमन 29(3)(ए) के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में तीन महीने की सूचना की अवधि को कम करने के लिए सक्षम है, बशर्ते कि कर्मचारी नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं करेगा।

7. वर्तमान मामले में, मौज़ी राम - दिवंगत कर्मचारी - ने उत्तारदाता बैंक में लगभग 34 वर्षों की सेवा प्रदान की थी। अतः वे अपने ऊपर लागू विनियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र थे। विनियम 29 का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि दिवंगत कर्मचारी विनियम 29 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अधिकारी थे, क्योंकि 8 अक्टूबर, 2007 तक उन्होंने बीस वर्षों से अधिक सेवा पूरी कर ली थी। 8 अक्टूबर, 2007 की स्थिति में वे सेवा से *त्यागपत्र* देने या विनियम 29 (उपरोक्त) के अनुसार *समयपूर्व सेवानिवृत्ति* लेने — दोनों के लिए पात्र थे। इस पृष्ठभूमि में प्रश्न यह है कि 8 अक्टूबर, 2007 का पत्र साधारण त्यागपत्र था या उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में भी माना जा सकता है। जैसा कि पहले देखा गया, उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि वह पत्र *त्यागपत्र* था, जिसके परिणामस्वरूप विनियम 22 के तहत पूर्व सेवा का *अधिग्रहण* हो गया। उच्च न्यायालय पत्र में प्रयुक्त शब्द "त्यागपत्र"से प्रभावित प्रतीत होता है। किन्तु "त्यागपत्र" शब्द का उपयोग, हमारे मत में, निर्णायक नहीं है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने सदैव "त्यागपत्र" और “स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति” के बीच स्पष्ट अंतर को मान्यता दी है। किसी भी संप्रेषण को साधारण त्यागपत्र माना जाए या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध — यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा लागू नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। "त्यागपत्र" और

"स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के मध्य अंतर का विस्तृत विश्लेषण इस न्यायालय ने ***यूको बैंक और अन्य बनाम सांवरमल (2004) 4 एससीसी 412*** में किया था, जहाँ न्यायालय ने यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के प्रावधानों की व्याख्या की थी। इसी प्रकार ***भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बनाम सीईसीआईएल डेनिस सोलोमन और सी एन. आर. (2004) 9 एससीसी 461*** में इस न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 की व्याख्या करते हुए त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर स्पष्ट किया था। साथ ही, अनेक निर्णयों में यह मान्यता दी गई है कि पेंशन न तो कोई अनुग्रह अनुदान है और न ही किसी कृपा का विषय है, बल्कि यह कर्मचारी द्वारा दी गई पूर्व सेवाओं के प्रतिफल के रूप में देय भुगतान है। इस विषय पर इस न्यायालय के निर्णय — ***डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305,*** और ***रेलवे बोर्ड और अन्य के अध्यक्ष बनाम सी. आर. रंगधमैया और अन्य (1997) 6 एससीसी 623,*** — स्पष्ट घोषणाएँ हैं। इस संदर्भ में ***सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य(1984) 3 एससीसी 369*** का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> *"**18.** सदियों तक न्यायालय इस मत के पक्ष में रहे कि पेंशन या तो एक अनुदान है अथवा निष्ठापूर्वक प्रदान की गई सेवा के बदले एक अनुग्रह है, जो नियोक्ता की इच्छा या कृपा पर निर्भर करता है, और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता; अतः पेंशन के लिए कोई अधिकार न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण लंबे समय तक प्रभावी रहा और पेंशन की वसूली के लिए वाद को अभिकरनीय नहीं माना गया। परंतु सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक अवधारणाओं के साथ, पेंशन की संकल्पना में मौलिक परिवर्तन*

*हुआ और अब यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि पेंशन एक अधिकार है तथा इसका भुगतान नियोक्ता के विवेक पर निर्भर नहीं करता, और न ही इसे नियोक्ता की इच्छा या मनमर्जी से रोका जा सकता है। देवकिनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एससीसी 330, पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह (1976) 2 एससीसी 1 तथा डी. एस. नकारा बनाम  बनाम भारत संघ (1983) 1 ससीसी 305 । यदि पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ है, को दीवानी वाद के माध्यम से वसूल किया जा सकता है, तो ग्रेच्युटी को भिन्न आधार पर रखने का कोई औचित्य नहीं है। सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में तथा उनकी वसूली के लिए, पेंशन और ग्रेच्युटी को समान स्तर पर रखा जाना चाहिए।"*

(जोर दिया गया)

8. इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा यह भी भली-भाँति स्थापित है कि किसी विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय को विधायी आशय को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए, जो उसके कल्याणकारी प्रावधानों को सीमित करे, संकीर्ण बनाए या निष्फल कर दे। ***एस. अप्पुकुट्टन बनाम थुंडियिल जनकी अम्मा एवं अन्य, (1988) 2 एससीसी 372*** में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया—

*"**16.** बहस समाप्त होने के बाद, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णय 1974 की सीए संख्या 165 आदि में के.एम. मैथ्यू बनाम हम्सा हाजी, (1987) 3 एससीसी 326,  जो 29-4-1987 को दिया गया था, की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त निर्णय में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 7-डी, जिसे केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधित किया गया था, की व्याख्या इस प्रकार की गई थी कि उसका लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिनका*

*निजी वन या सर्वेक्षण न किए गए भूमि पर कब्जा विधिसम्मत मूल का था, और उन व्यक्तियों को नहीं जो अतिक्रमण या बलपूर्वक एवं अवैध प्रवेश के आधार पर अवैध कब्जे में थे। हमने उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और पाया कि उसमें दिया गया प्रतिपादन वर्तमान उत्तरदाताओं के तर्कों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता। केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धाराएँ 7-ए, 7- बी, 7-सी, 7-डी, 8 और 9 की योजना पूर्णतः भिन्न है, और यह स्थिति उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अंश द्वारा व्यक्त की गई है। न्यायालय ने अधिनियम की योजना को निम्न शब्दों में संक्षेपित किया था (एससीसी पृष्ठ 330, पैरा 5)*

> *उपर्युक्त प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का आशय केवल उन्हीं व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने का था, जिनका कब्जा विधिसम्मत मूल का था, अर्थात् जिन्होंने या तो सद्भावनापूर्वक यह माना था कि भूमि सरकार की है और बाद में उसके आवंटन की मांग कर सकते हैं, या जिन्होंने ऐसी व्यक्तियों से भूमि ली थी जिन्हें वे सद्भावनापूर्वक पट्टा देने में सक्षम मानते थे, या जो वैध स्वामियों को स्वामित्व हस्तांतरण के आधार पर कब्जे में आए थे, अथवा वरम आदि जैसे व्यवस्थाओं के आधार पर आए थे जो केवल लाइसेंस की प्रकृति के थे और पट्टा अधिकार से कम थे। विधायिका का यह उद्देश्य नहीं था कि उन व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाए जिन्होंने दूसरों की भूमि पर जानबूझकर अतिक्रमण किया हो और जिनका कब्जा अपने मूल में अवैध हो। धारा 7-डी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कब्जे में" का अर्थ "कानूनी कब्जे में" के रूप में समझा जाना चाहिए।*

9. पुनः, ***वतन मल बनाम कैलाश नाथ, (1989) 3 एससीसी 79*** में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया—

> **"9.** ......... विधायिका का यह आशय कि धारा 13-ए का लाभ सभी किरायेदारों को दिया जाए, बशर्ते वास्तविक बेदखली न हुई हो, उप-खंड (सी) की भाषा से और भी स्पष्ट होता है। उप-खंड (सी) के अंतर्गत उप-खंड (ए) और (बी) के प्रावधानों को संशोधन अध्यादेश के प्रारंभ के पश्चात दायर सभी अपीलों या पुनरीक्षण आवेदनों पर म्युटेंट्स मुटांडिस (उपयुक्त संशोधन के साथ) लागू कर दिया गया है। इसमें केवल यह शर्त रखी गई है कि अपील या पुनरीक्षण दाखिल करने वाला किरायेदार, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर न्यायालय में आवेदन करे, ताकि उसे धारा 13- ए का लाभ प्रदान किया जा सके.....।"

10. इस संदर्भ में ***कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम आर. के. स्वामी और अन्य (1994) 1 एस.सी.सी. 445*** का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> *"14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है। अतः यदि 'दुकान' शब्द की ऐसी व्याख्या करना युक्तिसंगत रूप से संभव हो, जिससे विज्ञापन एजेंसी की गतिविधि को भी उसके अंतर्गत शामिल किया जा सके, तो ऐसी व्याख्या को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"*

11. उसी प्रभाव में इस न्यायालय का एक पश्चातवर्ती निर्णय ***भारत संघ और अन्य बनाम प्रदीप कुमारी और अन्य(1995) 2 एससीसी 736*** में है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित घोषित किया—

*"8. हम प्रारंभ में यह कहना उचित समझते हैं कि पूर्व में संदर्भित उद्देश्यों और कारणों के कथन को ध्यान में रखते हुए, धारा 28-ए के अधिनियमित होने के पीछे का उद्देश्य, धारा 18 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में संदर्भ का अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ अभिव्यक्तिहीन और निर्धन व्यक्तियों के कारण, समान या समरूप गुणवत्ता की भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान में उत्पन्न असमानता को दूर करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति इस प्रकार की जानी है कि जिस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि आच्छादित है, उससे प्रभावित सभी पक्षों को पुनर्निर्धारण का अवसर प्रदान किया जाए, एक बार जब उनमें से किसी एक ने धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ न्यायालय से अधिक मुआवजा प्राप्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया हो। अतः धारा 28-ए एक कल्याणकारी प्रावधान की प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य असमानता को समाप्त करना तथा उन अभिव्यक्तिहीन और निर्धन व्यक्तियों को राहत प्रदान करना है, जो अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में संदर्भ के अधिकार का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। कल्याणकारी विधायन के संबंध में विधि यह सुव्यवस्थित है कि ऐसे विधायन के प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालय को ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए, जो विधायन की नीति को आगे बढ़ाते हुए लाभ के विस्तार को प्रोत्साहित करे, न कि ऐसी व्याख्या, जिसका परिणाम उसके द्वारा प्रदत्त लाभ को सीमित करना हो। अतः धारा 28-ए के प्रावधानों की व्याख्या उक्त प्रावधान के अंतर्निहित उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए की जानी चाहिए।"*

*जोर दिया गया*

12. अब हम उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में दिवंगत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पत्र के वास्तविक आशय की जाँच करते हैं। अभिलेख से दो भिन्न-भिन्न पहलू स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। प्रथम यह कि दिवंगत कर्मचारी ने बैंक में 34 वर्षों से अधिक सेवा की थी और इसलिए, यदि वह समयपूर्व सेवा छोड़ना चाहता, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की माँग करने का अधिकारी था। दूसरा पहलू, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह है कि कर्मचारी ने सेवा छोड़ने का निर्णय किसी प्रस्तावित अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई के कारण, न तो किसी स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश के कारण जिससे वह असंतुष्ट था, और न ही इस कारण कि उसके विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जिससे सेवा में बने रहने पर उसे किसी प्रकार का दीवानी दुष्परिणाम झेलना पड़ता। इसके विपरीत, उसने अपनी सेवा इसलिए छोड़ी क्योंकि वह उन रोगों से ग्रस्त था, जिनके कारण वह शारीरिक रूप से सेवा जारी रखने में असमर्थ हो गया था। यह तथ्य न केवल पत्र से, बल्कि उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है, जिनमें कर्मचारी ने समयपूर्व सेवा छोड़ने के कारणों पर विशेष बल दिया है। यदि कर्मचारी का वास्तविक आशय शब्द के शाब्दिक अर्थ में त्यागपत्र देने का होता, तो ऐसे कारणों का उल्लेख आवश्यक नहीं था। सेवा छोड़ने के कारणों का उल्लेख स्पष्टतः इस तथ्य के समर्थन के लिए किया गया था कि वह परिस्थितियों की विवशता के अधीन ऐसा कर रहा था। यह बात दिनांक 23 नवम्बर, 2007 के क्षेत्रीय प्रबंधक के पत्र से भी स्पष्ट होती है, जिसमें दिवंगत कर्मचारी की खराब स्वास्थ्य-स्थिति को स्वीकार किया गया है तथा उसके पक्ष में 165 दिनों का बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के पत्र से भी यह स्पष्ट है, जिसके द्वारा कर्मचारी को उसके अनुरोध की स्वीकृति की सूचना दी गई, यह उल्लेख करते हुए कि नियोक्ता ने उसके गिरते स्वास्थ्य का संज्ञान लिया है, प्रबंधन ने

उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है तथा उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उक्त पत्र में कर्मचारी की अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता तथा संगठन के विकास में उसके द्वारा किए गए योगदान को भी स्वीकार किया गया है। इस सीमा तक कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य किसी प्रकार का संप्रेषण-अंतर नहीं है। तथापि, कर्मचारी का मामला यह है कि उसका एकमात्र आशय सेवा से समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का था। कर्मचारी के अनुसार, यह बात बैंक द्वारा उसके अनुरोध को स्वीकार किए जाने के लगभग तीन सप्ताह के भीतर लिखे गए उसके दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 के पत्र से भी स्पष्ट होती है। उक्त पत्र में दिवंगत कर्मचारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा—

> *"इस प्रकार, उपर्युक्त निवेदन के अनुसार मैंने मेरी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया था। मेरे द्वारा उक्त निवेदन में प्रस्तुत एवं वर्णित संपूर्ण कारण एवं उद्देश्य तथा मेरी शेष लगभग एक और आधा वर्ष की सेवा अवधि ने मेरी अंतरात्मा को यह विवश किया कि मैं सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करूँ, न कि शब्द के शाब्दिक अर्थ में सेवा से त्यागपत्र दूँ।"*

13. उक्त पत्र के साथ पुनः चिकित्सीय प्रमाण-पत्र तथा चिकित्सकीय पर्चे संलग्न किए गए थे, ताकि उसके इस अनुरोध के समर्थन में यह दर्शाया जा सके कि पूर्व में लिखे गए पत्र तथा उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को सही भावना में समझा जाए और उसके पक्ष में अंतिम लाभ जारी किए जाएँ। बैंक प्रबंधन द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में स्वीकार न करने का निर्णय कर्मचारी को दिनांक 24 जून , 2008 को सूचित किया गया, जिसमें प्रतिवादी-बैंक ने इस न्यायालय के ***युको बैंक*** प्रकरण (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया, जिसके द्वारा पेंशन विनियमों के विनियमन 22 को इस न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया था।

14. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखे जाने पर, अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क को अस्वीकार करना कठिन है कि दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के अपने पत्र द्वारा दिवंगत कर्मचारी का आशय सेवा से त्यागपत्र देने का नहीं, बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का था। हम ऐसा कई सहवर्ती परिस्थितियों के आलोक में कह रहे हैं। प्रथम दृष्टया, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 का पत्र लिखते समय कर्मचारी की सेवा अवधि में लगभग केवल एक से डेढ़ वर्ष ही शेष रह गया था। यह कल्पना करना भी अत्यंत अविवेकपूर्ण होगा कि ऐसा कोई बैंक कर्मचारी, जिसने इतने समर्पण के साथ कार्य किया हो कि प्रबंधन की सराहना प्राप्त की हो, वह इतनी लापरवाही से पेंशन आदि के रूप में मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों का परित्याग कर देगा, जो उसने अपने कार्य के प्रति दीर्घकालीन निष्ठा के कारण अर्जित किए थे। यदि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारी द्वारा लंबे वर्षों की ईमानदार और सद्भावनापूर्ण सेवा के परिणामस्वरूप अर्जित किया गया अधिकार है, तो न्यायालय यह मानने में धीमा होगा कि कर्मचारी ने बिना किसी ठोस कारण के ऐसे मूल्यवान अधिकार को त्यागने या छोड़ने का इरादा किया था। किसी भी स्थिति में, यह दर्शाने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थिति होनी चाहिए कि कर्मचारी ने सचेत रूप से उस अधिकार और लाभ को छोड़ा, जिसे उसने इतने परिश्रम से अर्जित किया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से ऐसे किसी सचेत समर्पण, परित्याग या सेवानिवृत्ति लाभ, जिसमें पेंशन भी सम्मिलित है, के अधिकार को छोड़ने की मंशा का कोई संकेत तो दूर, इसके विपरीत यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कर्मचारी के पास दीर्घकालीन सेवा से अर्जित लाभों के अतिरिक्त कोई अन्य आय या जीविका का स्रोत नहीं था। यह तथ्य दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को पढ़ने से स्पष्ट होता है, जिसमें कर्मचारी ने अपने सेवानिवृत्ति लाभ शीघ्र जारी किए जाने का अनुरोध किया है, ताकि वह आवश्यक

चिकित्सीय उपचार करा सके। जैसा कि पूर्व में देखा गया है, उक्त पत्र इस तथ्य पर विशेष बल देता है कि अपनी जीविका के लिए कर्मचारी पूर्णतः इन्हीं लाभों पर निर्भर था। इस दृष्टि से, हमारे लिए कर्मचारी पर यह आशय आरोपित करना कठिन है कि उसने उन सेवानिवृत्ति लाभों का परित्याग करने का इरादा किया, जिन पर उसका विधिसम्मत अधिकार था, जबकि वही लाभ न केवल उसके जीवनयापन, बल्कि उसके अत्यावश्यक चिकित्सीय उपचार के लिए भी एकमात्र साधन थे। किसी कर्मचारी द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय और अर्जित अधिकार के परित्याग के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा परित्याग स्पष्ट, असंदिग्ध, सचेत रूप से तथा उसके परिणामों की पूर्ण जानकारी के साथ किया गया हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसी कोई मंशा प्रत्यक्ष नहीं होती। कर्मचारी के पश्चातवर्ती पत्र एवं संप्रेषण, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं, को किसी पश्चविचार के रूप में नहीं कहा जा सकता। समय की दृष्टि से समीप होने के कारण, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 का पत्र पश्चातवर्ती संप्रेषण का ही एक हिस्सा माना जाना चाहिए, जिससे कम से कम कर्मचारी के कृत्य के अंतर्निहित वास्तविक आशय के निर्धारण के प्रयोजन से उसकी मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

15. हमारी राय में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की व्याख्या सदैव अपेक्षाकृत उदार रूप से की गई है, ताकि उनके अंतर्निहित उद्देश्य को प्रोत्साहित किया जा सके, न कि ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत लाभार्थियों को देय लाभों से वंचित किया जाए। ऐसे मामलों में, जहाँ किसी कर्मचारी के पास पेंशन प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की अवधि उपलब्ध हो और जहाँ वह लागू सेवा शर्तों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हो, वहाँ पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है, यह मानते हुए कि कथित त्यागपत्र वस्तुतः स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति हेतु किया गया अनुरोध है। वर्तमान मामले में भी ऐसा करने से विमुख होने के लिए हमें कोई बाध्यकारी कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, जो हमारे मत में मूलतः त्यागपत्र के बजाय दिवंगत कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने का ही मामला है।

16. इस चरण पर, हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनमें कुछ हद तक समान प्रश्नों की इस न्यायालय द्वारा जाँच की गई है और उनका उत्तर दिया गया है। ***सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (1984) 3 एस सी सी 369*** में, कंपनी के एक स्थायी अनबंधित कर्मचारी ने 29 वर्षों तक सेवा की थी, जिसके पश्चात उसने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसे नियोक्ता ने बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। कंपनी के सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियमों में उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था, जो सेवा से त्यागपत्र देते थे। उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किए गए दृष्टिकोण को उलटते हुए, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि त्यागपत्र द्वारा सेवा की समाप्ति, त्यागपत्र द्वारा सेवानिवृत्ति के तुल्य है, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का अधिकारी बनता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है:

> *"7. प्रतिवादी का यह तर्क है कि वादी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना पद त्यागपत्र देकर कंपनी की सेवा छोड़ दी। यह पहलू कुछ हद तक उच्च न्यायालय के मन में भी विचाराधीन रहा। पहले इसी पर विचार किया जा सकता है। यह न केवल विवादित नहीं है, बल्कि वास्तव में स्वीकार किया गया है कि वादी ने 31 दिसंबर 1929 से 31 अगस्त 1959 तक निरंतर सेवा प्रदान की। सटीक गणना करने पर, वादी ने 29 वर्षों और 8 महीनों की सेवा की। नियम 6(ए), जिसमें ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पात्रता की शर्त निर्धारित की गई है, यह प्रावधान करता है*

*कि कंपनी का प्रत्येक स्थायी अनबंधित कर्मचारी, चाहे उसे मासिक, साप्ताहिक या दैनिक आधार पर वेतन दिया जाता हो, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा, जो निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन या मजदूरी के बराबर होगी, बशर्ते कि कुल मिलाकर अधिकतम 20 वर्षों के वेतन या मजदूरी तक सीमित रहे; यह भी उपबंधित है कि यदि कोई कर्मचारी 15 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण करने से पूर्व नियम 11(2)(ii) और (iii) के अंतर्गत मृत्यु को प्राप्त होता है, सेवानिवृत्त होता है या सेवामुक्त किया जाता है, तो उसे उसमें उल्लिखित दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। "सेवानिवृत्ति" शब्द की परिभाषा नियम 1(जी) में इस प्रकार दी गई है कि इसका अर्थ है "दुराचार के कारण सेवामुक्ति द्वारा हटाए जाने के अतिरिक्त किसी भी कारण से सेवा की समाप्ति"। यह स्वीकार किया गया है कि वादी कंपनी का एक स्थायी अनबंधित कर्मचारी था, जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता था, उसने 29 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान की और उसकी सेवा उसकी ओर से प्रस्तुत त्यागपत्र के कारण समाप्त हुई, जिसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया। यह कहीं भी सुझावित नहीं है कि उसे दुराचार के कारण सेवामुक्त किया गया था। अतः निस्संदेह, वादी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, क्योंकि दिनांक 26 अगस्त 1959 के अनुलग्नक 'बी ' के पत्र द्वारा, वादी के दिनांक 27 जुलाई 1959 के पत्र के अनुसार प्रस्तुत त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया और उसे 1 सितम्बर 1959 से सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार सेवा की समाप्ति, उत्तरदाता द्वारा वादी के त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के कारण हुई। परिणामस्वरूप, वादी ने उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ में  उत्तरदाता की सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की और वह नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र है।"*

17. ***भारत संघ एवं अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी. एस. भार्गव (1997) 2 एस सी सी 28*** में, यह न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उत्तरदाता को इस आधार पर पेंशन से वंचित कर दिया गया था कि उसने सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि उत्तरदाता पर लागू पेंशन विनियमों का विनियम 16 स्वैच्छिक त्यागपत्र से संबंधित नहीं था और इसलिए उसे उत्तरदाता को पेंशन से वंचित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। इस न्यायालय ने कहा —

> "***19.*** *विनियमन 16 स्वैच्छिक त्यागपत्र के मामले को आच्छादित नहीं करता है। विनियमन 16(बी) उस स्थिति का उल्लेख करता है, जहाँ किसी अधिकारी के नाम न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि उसके खाते में होने के बावजूद उससे त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है और जिसकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। यदि विनियमों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के स्वेच्छिक त्यागपत्र देने पर उसके अंतिम लाभों के अधिकार को समाप्त करना होता, तो विनियमन 16(बी) के समान कोई विशिष्ट प्रावधान विनियमों में सम्मिलित किया गया होता, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। एक बार जब किसी अधिकारी के नाम न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि उसके खाते में हो जाती है, तो वह पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अर्जित कर लेता है और वर्तमान विनियमों के अनुसार, उस अधिकार को केवल तभी छीना जा सकता है जब विनियमन 3 या 16 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया जाए। न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि अपने खाते में रखने वाले अधिकारियों के स्वैच्छिक त्यागपत्र के मामले इन दोनों विनियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं*

*और इसलिए ऐसे अधिकारी, जो स्वेच्छा से त्यागपत्र देते हैं, उनके अंतिम लाभों से स्वतः वंचित नहीं किए जा सकते।"*

18. ***शील कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य(2011) 12 एस. सी. सी. 197***, तथ्य कुछ हद तक मामले के समान थे।उस मामले में अपीलकर्ता एक पेंशन योजना द्वारा शासित बीमा कंपनी का एक कर्मचारी था, जिसमें किसी कर्मचारी की पूरी सेवा को जब्त करने का प्रावधान था, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यदि वह अपने रोजगार से इस्तीफा दे देता है। अपीलकर्ता ने त्याग पत्र प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त योजना के तहत उनके सेवा लाभों से इनकार कर दिया गया। हालाँकि, इस न्यायालय ने माना कि चूंकि कर्मचारी ने योग्यता सेवा पूरी कर ली थी और इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के हकदार थे, यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने अपनी पेंशन खोने के लिए इस्तीफा दे दिया था। इस न्यायालय ने कहाः

*"**25**. 1995 की पेंशन योजना के पैरा 22 में कहा गया है कि निगम या कंपनी की सेवा से किसी कर्मचारी के इस्तीफे से उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभों के लिए योग्य नहीं होगा, लेकिन "त्याग" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। 1995 पेंशन योजना के कंडिका 30 के उप-कंडिका (1) के अंतर्गत, ऐसा कर्मचारी, जिसने 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली हो, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 90 दिनों का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है तथा 1995 पेंशन योजना के कंडिका 30 के उप-कंडिका (2) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है। चूँकि "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति", "इस्तीफा" के विपरीत, पूर्व सेवाओं की जब्ती का परिणाम नहीं होती है, बल्कि*

*पेंशन के लिए अर्हता प्रदान करती है, इसलिए जिस कर्मचारी पर 1995 पेंशन योजना का कंडिका 30 लागू होता है, उसे सेवा से "इस्तीफा" दिया हुआ नहीं माना जा सकता।*

***26.** वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने योग्यता सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे और नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा छोड़ने के अपने इरादे की लिखित सूचना कम से कम 90 दिनों की दी थी और नियुक्ति प्राधिकारी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अपीलकर्ताको नोटिस देना और उसे सेवा से मुक्त करना। अतः 1995 की पेंशन योजना का कंडिका 30 लागू किया गया। अपीलकर्ता को भले ही उसके दिनांकित 16-9-1991 पत्र में - उत्तरदाता 1 के महाप्रबंधक को कंपनी में उन्होंने "इस्तीफ़ा" शब्द का इस्तेमाल किया था।*

19. परिणामस्वरूप यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है और मृतक-एफ कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को उत्तरदाता-बैंक को 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और तीन महीने की नोटिस अवधि में कटौती के लिए एक नोटिस के रूप में मनाने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है। दृष्टिकोण के आधार पर सक्षम प्राधिकरण नोटिस अवधि में कटौती और/या मृतक-कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों में से तीन महीने के वेतन की कटौती के सवाल पर विचार कर सकता है, मृतक-कर्मचारी के पेंशन सहित संबंधित नियमों के तहत देय सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के दावे पर कार्रवाई की जाएगी और अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किया गया-विधवा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन इस आदेश की एक प्रति बैंक को दिए जाने की तारीख से छह महीने के बाद नहीं। छह महीने के भीतर निर्देशों का पालन करने में बैंक

की विफलता की स्थिति में ऊपर दर्शित, कर्मचारी को देय राशि और की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को, छह महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करना शुरू कर देगी। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**